

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पर व्यवहार कुलसंचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जाए न
कि किसी अन्य प्राचीनकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पन्न
व्यवहार हुआ हो तो पन्न क्रान्ति एवं दिवांक
अपने लिखा जाए तितसे याचिक हो।



ग्राम : ग्रीष्मीयर्थी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषण :

कुलसंचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2012/ ५३४

दिनांक: ३१.१०.१२

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध विषय लक्ष्मी कॉलेज ऑफ कंसिङ साइंस, माना का बाजार, ग्वालियर (0751-4026818) को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एस.-सी. नरिंग प्रथम पन्न, पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये मानवीय कुलपति महोदय स्वामी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 27(10) के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

(1) प्रो. राजीव जैन, अधिष्ठाता महाविद्यालयीन विकास परिषद, जी.वि.वि. ग्वालियर।
(0751-2442828)

(संयोजक)

(2) प्रो. डॉ. ए. गोस्वामी, आचार्य, कम्प्यूटर साइंस अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।

(3) प्रो. रेणूका दास, प्राचार्य, कॉलेज ऑफ नरिंग जन विकास न्यास केन्सर पहाड़िया, ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिनियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुरू, धरोहर राशि, वार्षिक शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ़, प्राप्तिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आविष्कार संस्था तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति यथ प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ़ की विवृतियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुबंधानों अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर निरीक्षण करायें। समिति संयोजक से निवेदन है कि वे उक्त विधिविरुद्ध समय में निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। निरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तराधित निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

समिति गठन का पन्न प्राप्त होने के बाद निरीक्षण में की गई देरी के लिये गहराविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा। निरीक्षण सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज दी जायेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में निरीक्षण नहीं करता है तो समिति खत्र विस्तृत हो जायेगी और पुनः निरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को दण्ड स्वरूप रु. 25,000/- जमा करने होंगे। तपश्चात् दी निरीक्षण समिति का पुर्वगढ़ किया जायेगा। परिनियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिना छात्रों को प्रवेश देना अवैधिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाला में कार्यालय अधीक्षक / कार्यालय सहायक प्राचार्याली लेकर जायेंगे तथा सहाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को ट्री.ए. / डी.ए. मानवदेव महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

कुलसंचिव

प्रतिलिपि :-

- समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर जेझकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करायें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर करने की व्यवस्था करें।
- आयुक्त उच्च शिक्षा, राज्युदा भवन, भोपाल
- कुलपति के संचिव / कुलसंचिव के लिये सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

सहा. कुलसंचिव (सम्बद्धता)